



27-11-19

27-11-19

वकूलायें करी केण उपर / रेसपो वसे 2, 17, 18, 22, 25, 26, 27 के कामम मुठ पर बहस सुनी गई वकील रेसपो वसे कोड एतराज नही किया। फाव पग कामम मुठ स्वीकार किया जाते हैं संशोधित 21.12.19 प्रेषा हो। कामे तहत का रेकार्ड लालक कर दिनांक 11-12-19 को प्रेषा हो।

पञ्जाब 9/15 डि
27-11-19 से
बिनाप सोवरी

L-C पकवरी
एलएन 7/14
9.12.19 दिनांक

11-12-19

वकूलायें करी केण उपर। संशोधित वकील प्रेषा किया नकल दी गई बहस अपील सुनी गई। वकील रेसपो ने अपील स्वीकार कर रिमांड किया जाने की सहमति जाहिर की है। वकील अपीलार ने वकील रेसपो की सहमति के आधार पर





दिनांक

आज्ञा पत्र

अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किसे
जाँच का निवेदन किया।

बहस उममपक्ष पर मजबूत
किया गया। उममपक्षों के अभिभाषकों
के निवेदन एवं प्रकरण के तत्वों
के मध्यमजर अपील स्वीकार
किया जाकर उचित मानते हैं।

कतः अपील अपीलें स्वीकार
की जाती हैं तथा विद्वान उष
स्वयं कार्यकारी निदेशों का निर्णय
दिनांक 27-7-2007 सुनने 7/2009

को स्वीकार किया जाकर प्रकरण
अदालत आतहत को रिमाण्ड
किया जाता है कि दोनों
पक्षों को सुनवाई एवं सक्षम
का आवसर देते हुए कार्य
निर्णय पुनः पारित करें।
निर्णय सुनाया गया।

(Signature)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प बुन्दुर्ग)